



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25032023-244668
CG-MH-E-25032023-244668

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1366]
No. 1366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

रेल मंत्रालय

पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)

शुद्धि पत्र अधिसूचना

मुंबई, 23 मार्च, 2023

यह अधिसूचना दिनांक 19-12-2022 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.अ. 5936(अ) का अधिक्रमण करती है

का.आ. 1419(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, ग्राम- नामली, पटवारी हल्का नंबर -12 तहसील रतलाम (मध्य प्रदेश) की यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के रतलाम जिले में नीमच-रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी, रतलाम (मध्यप्रदेश) को लिखित रूप में किया जावेगा और उसके आधारों को उपवर्णित करेगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी (अधिवक्ता) के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो मंजूर कर सकेगा या नामंजूर कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा (प्लान) अपर कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी, रतलाम (मध्यप्रदेश) एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेलवे के रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में नीमच - रतलाम दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम:- रतलाम

तहसील का नाम :- रतलाम ग्रामीण

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	प.ह.न.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/ अंसिंचित	रिमार्क
				स्क्वेयर मीटर में	हेक्टेयर में		
01	नामली	12	924/1	900	0.090	सिंचित	-
02	नामली	12	927/1	300	0.030	सिंचित	-
03	नामली	12	928/1/1	500	0.050	सिंचित	-
04	नामली	12	930	500	0.050	सिंचित	-
05	नामली	12	931	900	0.090	सिंचित	-
06	नामली	12	962	700	0.070	सिंचित	-
07	नामली	12	1020/2	500	0.050	सिंचित	-
08	नामली	12	1023/2	300	0.030	सिंचित	-
09	नामली	12	1023/3	600	0.060	सिंचित	-
10	नामली	12	1023/4	700	0.070	सिंचित	-
11	नामली	12	1033/1	700	0.070	सिंचित	-
12	नामली	12	1033/3	1100	0.110	सिंचित	-
			योग	7700	0.770		

[फा. सं. ई-ऑफिस E 259252-6A]

राजकुमार वानखेडे, मुख्य अभियंता/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS
[WESTERN RAILWAY (CONSTRUCTION ORGANIZATION)]
CORRIGENDUM NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2023

This notification supersedes the Notification S.O. 5936(E), published on 19/12/2022

S.O. 1419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land of Village- Namli, P.H. NO.-12, Tehsil-Ratlam, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Nimach-Ratlam doubling Project in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Upper Collector & Competent Authority, Ratlam, District- Ratlam (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Map (plan) of the land coming under this notification can be seen in the office of Upper Collector & Competent Authority, Ratlam and Deputy Chief Engineer (Construction) Western Railway, Ratlam.

SCHEDULE

Brief description of land with or without structure to be acquired for special Railway project Named Nimach-Ratlam doubling project.

Name of District: Ratlam

Name of Tehsil: **Ratlam Rural**

S.No.	Name of Village	P.H. No.	Khasara No.	Acquired Land Area		Type of Land Irrigated / Unirrigated	Remark
				In Sqm.	In Hect.		
01	Namli	12	924/1	900	0.090	Irrigated	-
02	Namli	12	927/1	300	0.030	Irrigated	-
03	Namli	12	928/1/1	500	0.050	Irrigated	-
04	Namli	12	930	500	0.050	Irrigated	-
05	Namli	12	931	900	0.090	Irrigated	-
06	Namli	12	962	700	0.070	Irrigated	-
07	Namli	12	1020/2	500	0.050	Irrigated	-
08	Namli	12	1023/2	300	0.030	Irrigated	-
09	Namli	12	1023/3	600	0.060	Irrigated	-
10	Namli	12	1023/4	700	0.070	Irrigated	-
11	Namli	12	1033/1	700	0.070	Irrigated	-
12	Namli	12	1033/3	1100	0.110	Irrigated	-
TOTAL				7700	0.770		

[F. No E-Office E 259252-6A]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Engineer, Construction-III